भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .3762
21 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हेतु राजसहायता

3762. श्री सुमेधानन्द सरस्वती;
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे;
श्री सुनील कुमार सिंह;
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) राजस्थान सहित देश में वाणिज्यिक बागवानी के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को राजसहायता संबंधी राज्य-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसमें से कुल कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं**;**
(ख) क्या सरकार ने बागवानी उत्पादों के कटाई**-**उपरांत और शीतागार अवसंरचना ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(ग) सरकार द्वारा नए आवेदनों हेतु राजसहायता योजना दिशानिर्देशों**,** प्रलेखन और प्रसंस्करण की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)श्री नरेन्द्र सिंह तोमर(

(क) एवं (ख): "बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी विकास" योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2018-19 से 2020-21) के दौरान राजस्थान सहित देशभर में प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इस योजना के तहत, उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं, फसलोपरान्त प्रबंधन (पीएचएम) यानि पैक हाउस, राईपेनिंग चैंबर, रेफर वैन, रिटेल आउटलेट, प्री-कूलिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग

आदि, जैसे बागवानी क्षेत्र से संबंधित इकाईयों की स्थापना के लिए बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागार और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" हेतु एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक के शीतागार क्षमता के लिए 50 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी शीतागार और सीए स्टोर के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता भी पात्र है।

राजस्थान सहित उपरोक्त योजना के तहत पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2018-19 से 2020-21) के दौरान प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): सब्सिडी योजना दिशानिर्देशों के सरलीकरण, नए आवेदनों के प्रलेखन और प्रसंस्करण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

1. आईपीए योजना की मौजूदा 2 चरण की प्रक्रिया को दिनांक 01.04.2020 से योजना के कार्यान्वयन के लिए एकल चरण प्रक्रिया में बदल दिया गया है।

2. परियोजना कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए, आईपीए जारी करने से पहले किंतु बिना किसी सावधि ऋण के वितरण के आईपीए के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 03 महीने के भीतर सावधि ऋण की मंजूरी दी गई है।

3. युक्तिसंगत मामलों में, मामले के आधार पर परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा मौजूदा 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है।

4. प्रारंभिक परियोजना कार्य अर्थात (i) भूमि समतल करना और गड्ढों की खुदाई (ii) गेट के साथ कंपाउंड वॉल-फेंसिंग (iii) परियोजना के एक भाग के रूप में ट्यूबवेल/बोरवेल (iv) आवेदक की मार्जिन मनी का उपयोग करके ऑनलाइन आईपीए आवेदन जमा करने के बाद अंगूर के बागानों के मामले में ड्रिप के साथ रूट स्टॉक प्लांटेशन की अनुमति दी गई है ।

5. पट्टा भूमि पर परियोजनाओं के मामले में, अब न्यूनतम 10 वर्ष की पट्टा अवधि स्वीकार्य है, भले ही लीज डीड ऑनलाइन आईपीए आवेदन की तिथि से एक वर्ष पहले निष्पादित की गई हो।

6. आवेदकों/प्रमोटरों के प्रशिक्षण को वैकल्पिक बनाने का निर्णय लिया गया है, जो पहले अनिवार्य था।

लो.स.अता.प्र.सं. 3762

अनुबंध-I

"बागवानी फसल उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी" योजना और स्वीकृत परियोजना के तहत पिछले तीन वर्षों (2018-2019 से 2020-2021) के दौरान प्राप्त राज्य-वार आईपीए का विवरण

क्र.सं.	राज्यक्षेत्र राज्य संघ/	प्राप्त आईपीए आवेदन	स्वीकृत परियोजना
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	34	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	4
4.	असम	3	2
5.	बिहार	19	2
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ	274	32
8.	दादर एवं नागर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	1	0
10.	दिल्ली	8	5
11.	गोवा	2	1
12.	गुजरात	202	136
13.	हरियाणा	48	31
14.	हिमाचल प्रदेश	48	32
15.	जम्मू और कश्मीर	6	3
16.	झारखंड	4	0
17.	कर्नाटक	329	92
18.	केरल	18	13
19.	लद्दाख	0	0
20.	लक्षद्वीप	0	0
21.	मध्य प्रदेश	246	121
22.	महाराष्ट्र	1232	1052
23.	मणिपुर	2	19
24.	मेघालय	0	0
25.	मिजोरम	0	0
26.	नागालैंड	0	0
27.	ओडिशा	108	43
28.	पांडिचेरी	0	0
29.	पंजाब	49	16

30.	राजस्थान	215	70
31.	सिक्किम	6	1
32.	तमिलनाडु	160	94
33.	तेलंगाना	110	37
34.	त्रिपुरा	0	0
35.	उत्तर प्रदेश	116	17
36.	उत्तराखंड	25	7
37.	पश्चिम बंगाल	12	7
	योग	**3285**	**1862**

लो.स.अता.प्र.सं. 3762

अनुबंध-II

"बागवानी उत्पादों के लिए शीतागार और भंडारण के निर्माण/विस्तार /आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी योजना" और स्वीकृत परियोजना के तहत पिछले तीन वर्षों (2018-2019 से 2020-2021) के दौरान प्राप्त राज्यवार आईपीए का विवरण

क्र.सं.	राज्यक्षेत्र राज्य संघ/	प्राप्त आईपीए आवेदन	स्वीकृत परियोजना
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	13	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	4	4
5.	बिहार	4	3
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ	2	0
8.	दादर एवं नागर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	0	0
11.	गोवा	1	0
12.	गुजरात	1	1
13.	हरियाणा	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	3
15.	जम्मू और कश्मीर	3	3
16.	झारखंड	3	0
17.	कर्नाटक	10	8
18.	केरल	0	0
19.	लद्दाख	0	0
20.	लक्षद्वीप	0	0
21.	मध्य प्रदेश	22	4
22.	महाराष्ट्र	45	1
23.	मणिपुर	0	0
24.	मेघालय	0	0
25.	मिजोरम	0	0
26.	नागालैंड	0	0
27.	ओडिशा	0	0
28.	पांडिचेरी	0	0
29.	पंजाब	42	26
30.	राजस्थान	3	12

31.	सिक्किम	0	0
32.	तमिलनाडु	3	6
33.	तेलंगाना	9	5
34.	त्रिपुरा	0	0
35.	उत्तर प्रदेश	96	28
36.	उत्तराखंड	0	0
37.	पश्चिम बंगाल	2	0
	योग	**265**	**111**

*****